न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवान:– सरपंच ग्राम कोलिडा बनाम तहसीलदार सीकर
किस्म:– प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एलआर एक्ट 1957
नम्बर– 136/ वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र
[illegible]	तहसीलदार सीकर द्वारा राजस्व ग्राम कोलिडा पटवार हल्का कोलिडा तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 304, 299, 300, 2701/301, 303, 315, 292, 290, 288, 316, 317, 291, 280, 250, 279, 251, 271 में से प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत् पत्र क्रमांकः– राजस्व/आवंटन/2025/1065 दिनांक 13.08.2025 के द्वारा प्रस्ताव मय नक्शा भिजवाया गया है। प्रस्ताव प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार सीकर सीकर द्वारा रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत् प्रस्ताव मय अभिशंषा भिजवाया गया। तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट के आधार पर मौके पर प्रस्तावित रास्ता चालू है तथा आवागमन हो रहा है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, रिपोर्ट पत्रादि का अवलोकन किये जाने के तदोपरान्त पाया गया कि उक्त ख.न. में से समस्त खातेदारों द्वारा प्रस्ताव पर किसी प्रकार की सहमति नहीं दी गई है। उक्त खातेदार को सूचित करने के लिए नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 01.09.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सीकर

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 17/9/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश, तामील नोटिस प्राप्त। आज दिनांक तक किसी खातेदार द्वारा रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड के संबंध में आपत्ति पेश नहीं की है। अतः तहसीलदार द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाकर [illegible] पत्रावली [illegible]। पत्रावली नियमानुसार [illegible] हो। [illegible]
निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से उद्घोषित हुआ।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर